प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 01 मई, 2019***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र पुत्र श्री भोला, निवासी जनपद-उन्नाव की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8921/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-28.03.2019) दिनांक-28.03.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र पुत्र श्री भोला, जो निवासी-ग्राम-सहरावां, थाना-सोहरामऊ, जिला-उन्नाव का रहने वाला है। बंदी ने आपस में विवाद होने पर दिनांक 24.03.1999 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बांका, ईट से रामआसरे, गुड्डू उर्फ हरी नरायन, मुन्ना सहित 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-167/1999 भा0द0सं0 की धारा-302/149, 325/149, 323/149 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 23.10.2000 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक **10**.03.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट ने निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशसक्त न होने, दोनों पक्षों में तनाव होने, समयपूर्व रिहाई उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी सुरेन्द्र पुत्र श्री भोला की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बंदी ने आपस में विवाद होने पर दिनांक 24.03.1999 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बांका, ईट से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र पुत्र श्री भोला को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रकरण में विशेष अनुज्ञा याचिका क्रिमि0 डायरी संख्या-13678/2017 सुरेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2018 के अनुपालन में तथा उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुरेन्द्र (बन्दी संख्या-14530) पुत्र श्री भोला, निवासी जनपद-उन्नाव के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-43/2019/1745(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।

2- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-43/2019/1742/22-2-2019-17(754)/2019

दिनांक 01 मई, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र पुत्र श्री भोला, जो निवासी-ग्राम-सहरावां, थाना-सोहरामऊ, जिला-उन्नाव का रहने वाला है। बंदी ने आपस में विवाद होने पर दिनांक 24.03.1999 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बांका, ईट से रामआसरे, गुड्डू उर्फ हरी नरायन, मुन्ना सहित 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-167/1999 भा0द0सं0 की धारा-302/149, 325/149, 323/149 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 23.10.2000 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक **10**.03.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट ने निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशसक्त न होने, दोनों पक्षों में तनाव होने, समयपूर्व रिहाई उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी सुरेन्द्र पुत्र श्री भोला की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बंदी ने आपस में विवाद होने पर दिनांक 24.03.1999 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बांका, ईट से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र पुत्र श्री भोला को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in